निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 चैत्र 1940 (श0)

(सं0 पटना 342) पटना, मंगलवार, 17 अप्रील 2018

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

13 अप्रील 2018

सं० 21/एस०एस०सी०(नियमावली)-07/2017–5031/सा०प्र०—बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 बिहार अधिनियम 7, 2002) की धारा-12 की उप धारा-(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2003 के नियम-11 के उपनियम-(3) को निम्नलिखित द्वारा तुरत के प्रभाव से प्रतिस्थापित करती है :–

'' (3) सरकार द्वारा समय-समय पर, स्वीकृत पदबल के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा संचालन और प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए, विज्ञापन के आधार पर, वाह्य व्यक्तियों/सेवा निवृत्त सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविदा के आधार पर वचनबद्ध (engage) करने तथा उनका एक पैनल तैयार करने हेतु, आयोग आवेदन आमंत्रित कर सकेगा। ऐसे व्यक्तियों/सेवा निवृत्त सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का चयन, आरक्षित कोटि के सदस्यों के उचित प्रतिनिधित्व का ध्यान रखते हुए, किया जाएगा। ऐसे वचनबद्ध वाह्य व्यक्तियों को इस आधार पर सरकारी सेवा में नियोजन का कोई अधिकार नहीं होगा। पैनल केवल दो वर्ष के लिए वैध रहेगा और तत्पश्चात् वह व्यपगत माना जाएगा। किसी पैनल की समाप्ति की तिथि से दो माह पूर्व अगला पैनल तैयार करने की कार्रवाई आयोग द्वारा आरंभ की जा सकेगी। वचनबद्ध किये जाने वाले व्यक्तियों तथा उनके पदों की संख्या तथा उनको भुगतेय राशि की दर, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विनिश्चित की जायेगी।

परन्तु, आरक्षित कोटि के वाह्य व्यक्तियों/सेवा निवृत्त सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में, सामान्य कोटि के व्यक्तियों को वचनबद्ध किया जा सकेगा।''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

13 अप्रील 2018

सं० 21 / एस०एस०सी०(नियमावली)-07 / 2017–5032 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 5031 दिनांक 13 अप्रील 2018 का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

The 13th April 2018

No-21/S.S.C.-(Rules)-07/2017 Ka-5032—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section-12 of the Bihar Staff Selection Commission Act, 2002 (Bihar Act, 7, 2002), the State Government of substitutes the Subrule-3 of Rule 11 of the Bihar Staff Selection Commission Rules, 2003 by the following with immediate effect :–

"(3) Addition to sanctioned posts, for advertisement and conducting examinations and completing the process, the Commission may invite applications for preparation of panel to engage the outer persons/retired Government officers and employees on contract basic. The selection of these persons/retired Government officers and employees, shall be done keeping in mind about appropriate representation of the members of reserved category. These engaged outer persons shall have no any right on this basic to employment in Government Service. The panel shall be valid only for two years and after this the panel shall be lapsed. The process for preparing the next panel shall be started by the Commission before two months from the expiry date of any panel. The Commission shall obtain the prior approval of the State Government on such persons to be engaged and their number of posts and on the rate of the amount payable to them.

provided that in the condition of unavailability of outer persons/retired Government officers and employees of reserved category, persons of General Category shall be engaged."

By order of the Governor of Bihar,
RAJENDRA RAM.
Additional Secretary to Government.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 342-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in